निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 22/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. कल्याण सहाय पुत्र स्व॰ श्री भूरा
2. गंगा देवी पत्नी स्व॰ श्री तेजाराम
3. सूजाराम उर्फ छोटू पुत्र स्व॰ श्री तेजाराम
4. बबलू पुत्र स्व॰ श्री तेजाराम
5. बाबूलाल स्व॰ श्री तेजाराम
6. राजू स्व॰ श्री तेजाराम
7. लच्छूराम पुत्र स्व॰ श्री पांचूराम
8. अर्जुन पुत्र स्व॰ श्री रामनारायण
9. बद्रीनारायण पुत्र स्व॰ श्री रामनारायण
10. श्रीराम पुत्र स्व॰ श्री रामनारायण
11. सीताराम पुत्र स्व॰ श्री रामनारायण
12. प्रकाश पुत्र स्व॰ श्री सोन्या
13. रामलाल पुत्र स्व॰ श्री भौरी लाल
14. मंगल पुत्र स्व॰ श्री भौरी लाल
15. बाबूलाल पुत्र स्व॰ श्री भौरी लाल
16. हजारी पुत्र स्व॰ श्री भौरी लाल
17. प्रभाती देवी पत्नी स्व॰ श्री भौरी लाल

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम मीणों का बाढ, नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री चिमनाराम मीणा आर.ए.एस॰ पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
2. श्रीमती भौरी देवी पुत्री स्व॰ श्री गोपी पत्नी बिरदाराम जाति मीणा निवासी ग्राम मीणो का बाढ हाल निवासी ग्राम नटाटा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
3. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा नायला जरिये शाखा प्रबन्धक, नायला, जिला जयपुर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ
5. उप पंजीयक जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 115/2022 व उनवानी कल्याण बनाम भौरी देवी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थितः–

1. श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री रमेश चन्द्र मिश्रा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 25.07.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या प्रकरण संख्या 115/2022 ब उनवानी कल्याण बनाम भौरी देवी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेशचन्द्र मिश्रा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 एवं उसके पुत्र राजनैतिक पहुँच के लोग है जो भू माफिया लोगों से मिल कर प्रार्थीगण को उक्त भूमि पर से बेदखल करने पर आमादा है और राजनैतिक पहुँच के कारण विपक्षी लोग उपखण्ड अधिकारी से रोज मिलते रहते है और इस आधार पर एव विश्वास पर अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 05.01.2023 को न्यायालय कक्ष के बाहर प्रार्थी संख्या 1 को स्पष्ट कहा है कि मै सरपंच और पांच अन्य बडे आदमियों को एस डी ओ साहब से मिलकर आयी हुँ और एस डी ओ साहब ने मुझ कहा है कि अगली तारीख पर कल्याण बनाम भोरी देवी में जारी किया गया स्टे खत्म कर दूंगा और दावा भी जल्दी खारिज कर दूंगा। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी के रहते हुए उक्त प्रकरण में न्याय की आशा नही है एवं किसी भी प्रकार तथा नियमों से बाहर जा कर पीठासीन अधिकारी प्रकरण को प्रार्थीगण के खिलाफ करके अप्रार्थिया संख्या 2 को लाभ पहुंचा सकते है। अप्रार्थी संख्या 1 ऐसा राजनितिक कारणों एवं दबाव से कर रहे है । इसलिए उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक **25.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर